

Government has formulated a set of Guidelines "Sport India: Operation Excellence 1988-90" which aim at intensification and systematisation of efforts for ensuring good of Indian sports persons in major international competitions, and, *inter alia*, introduction of the element of objectivity in the selection of National Coaches and sportspersons, scientific training and coaching, and provision of scientific aids and nutritive diet. The objective of Government has really been to foster coordination and not rivalry between high level Sports bodies in the country, so that optimum results could be achieved from the substantial human, material and financial inputs into sport, promotion.

If, however, cases of mismanagement are brought to the notice of Government, appropriate action is taken.

#### बोफोर्स तोप सौदे में कमीशन

149. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :  
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बोफोर्स तोप सौदे से जुड़े कमीशन से संबंधित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ख) इस मामले में कुल निम्न रूपरेखा के कमीशन का मामला प्रकाश में आया है और उस धनराशि के वसूल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है। अब तक बोफोर्स द्वारा दी गई 319.4 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि अदा करने का पता चला है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन)  
अधिनियम

150. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :  
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मसौदा तैयार किया है ; यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में  
राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० सैन्न) :

(क) और (ख) शिक्षा विभाग के अनुरोध पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में संशोधन करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए फरवरी, 1987 में प्रो० एम० जी० माथूर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। माथूर कमेटी की रिपोर्ट और इस पर आयोग के दृष्टिकोण जुलाई, 1987 में प्राप्त हुए थे। इनकी जांच की गई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में सुविधियां बनाने का अनुरोध किया गया। इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने सुविधियों का मसौदा तैयार कर लिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलग से डा० ए० ज्ञानम कल्पति, मद्रास विश्वविद्यालय, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो देश में विश्वविद्यालय की नयी मांगों को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय की प्रबंध पद्धति की समीक्षा करेगी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानम समिति की सिफारिशों पर विचार करने का प्रस्ताव किया जाता है।

#### राष्ट्रीय पर्यावरण और वन नीति

151. श्री सत्य प्रकाश मालवीय  
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय पर्यावरण और वन नीति बनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक ; और

(ख) क्या सरकार पर्यावरण और वन पर एक श्वेत पत्र जारी करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कार हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) :** (क) सरकार की पर्यावरण नीति उन विभिन्न प्रशासनिक और वैधानिक कानूनों में प्रतिबिम्बित होती है जो सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए समय-समय पर करती है जैसे पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, जल तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम और देश में विकास गतिविधियों के प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित प्रशासनिक निर्णय। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति 7 दिसम्बर, 1988 को पहले ही घोषित की जा चुकी है।

(ख) जी नहीं, इसके कारण ऊपर (क) में दिए गए हैं ?

**Non-Amendment of Rules by Delhi Administration regarding the pecuniary benefits admissible to teachers of aided schools**

152. SHRI DEBA PRASAD RAY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the Delhi Education Act, teachers of aided schools are entitled for all the pecuniary benefits including housebuilding advance, as are admissible to Government School teachers;

(b) whether it is a fact that the Union Ministry of Law and Justice had directed the Delhi Administration to amend the relevant Rules in line with the provisions of the Act, 3-4 years back; and

(c) if so, the reasons for not amending the Rules despite the directions of the Ministry of Law and Justice to Delhi Administration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) Under Section 10(1) of Delhi School Education Act, the same pay scales, allowances, pension, gratuity and Provident Fund facilities are available to teachers of aided and unaided recognised schools as are available to teachers in Government

schools; but house building advance is not covered within its ambit.

(b) Delhi Administration had initiated amendments to the Delhi School Education Rules, 1973, which included amendment of Rule 125 so as to provide for house building advance to employees of recognised private schools. On reconsideration, on account of financial constraints, difficulties in recoveries from teachers of private schools and legal problems in making property mortgages, in favour of the President of India' in respect of loans advanced to such teachers, the Delhi Administration has dropped the proposal.

(c) Does not arise.

#### Uniformity in the Pensions

153. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the demands made and the deliberations held on the 93rd December, 1989 at the 34th Annual General Conference of Bharat Pensioners' Samaj, as reported in the press on 10th December, 1989; and

(b) if so, what steps have been taken and those which are being contemplated and the decisions since taken to meet their demands, especially the one for bringing about uniformity in the pensions and allowances drawn by different persons retiring from the same rank and stage, merely on account of the year of their retirement?

THE PRIME MINISTER AND THE MINISTER FOR PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS:

<SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b) Press reports relating to deliberations of the 34th Annual General Conference of Bharat Pensioners' Samaj have come to the notice of Government. The pension structure of Central Government pensioners both past and future, was reviewed and orders were issued in 1993 in the light of the recommendations